रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-07032024-252690
CG-DL-E-07032024-252690

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 147] नई दिल्ली, बुधवार, मार्च 6, 2024/फाल्गुन 16, 1945
No. 147] NEW DELHI, WEDNESDAY, MARCH 6, 2024/PHALGUNA 16, 1945

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 6 मार्च, 2024

सा.का.नि. 159(अ).—केन्द्रीय मोटर यान अधिनियम, 1988 की धारा 212 की उपधारा (1) की अपेक्षानुसार केन्द्रीय मोटर यान नियम, 1989 का संशोधन करने के लिए कतिपय नियमों का प्रारूप, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (i) में भारत सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की अधिसूचना सं. सा.का.नि. 724(अ) तारीख 5 अक्तूबर, 2023 द्वारा प्रकाशित किए गए थे, जिनमें उस तारीख से जिसको उक्त अधिसूचना को अंतर्विष्ट करने वाली राजपत्र की प्रतियां जनसाधारण को उपलब्ध कराई गई थी, तीस दिन की अवधि के भीतर प्रभावित होने वाले सभी व्यक्तियों से आक्षेप और सुझाव आमंत्रित किए गए थे ;

और उक्त राजपत्र अधिसूचना की प्रतियां जनसाधारण को 6 अक्तूबर, 2023 को उपलब्ध करा दी गई थी ;

और उक्त प्रारूप नियमों के संबंध में जनसाधारण से प्राप्त आक्षेपों और सुझावों पर केंद्रीय सरकार द्वारा सम्यक् रूप से विचार कर लिया गया है ;

अतः अब केन्द्रीय सरकार, केन्द्रीय मोटर यान अधिनियम, 1988 (1988 का 59) की धारा 110 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय मोटर यान नियम, 1989 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :—

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.- (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम केन्द्रीय मोटर यान (चौथा संशोधन) नियम, 2024 है ।

(2) ये नियम 1 सितंबर, 2025 से प्रभावी होंगे ।

2. केन्द्रीय मोटर यान नियम, 1989 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त नियम कहा गया है) के नियम 47 के उपनियम (1) के खंड (v) के उपखंड (छ) में, "और, किसी बस बॉडी संरचना फैब्रीकेटर द्वारा ड्राईव अवे चेसिस पर निर्मित बस की बॉडी के स्वप्रमाणन के मामले में, प्ररूप 22ख में अनुपालन का प्रमाणपत्र" शब्दों, अंकों और अक्षर का लोप किया जाएगा ।

3. उक्त नियमों के नियम 125ग में,-

(क) उपनियम (1) में, परंतुक और सारणी के पश्चात् निम्नलिखित परंतुक अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

"चालक को छोड़कर 13 या अधिक यात्रियों के बैठने की क्षमता वाली बसों की बॉडी के निर्माण का परीक्षण और अनुमोदन, बस बॉडी निर्माता द्वारा एआईएस:052 (पुनरीक्षण 1)-2008 के अनुसार होगा तथा नियम 126 के अधीन विनिर्दिष्ट परीक्षण अभिकरणों द्वारा एक अनुमोदित प्रकार होगा ।";

(ख) उपनियम (7) में, खंड (ख) के पश्चात् निम्नलिखित खंड अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

"(ग) बस बॉडी निर्माता द्वारा निर्मित, चालक को छोड़कर 22 से अधिक यात्रियों के बैठने की क्षमता वाली बसें एआईएस-153 के अनुसार अपेक्षाओं के अनुरूप होंगी ।"।

4. उक्त नियमों के नियम 126 में, दसवें और ग्यारहवें परंतुक का लोप किया जाएगा ।

5. उक्त नियमों में प्ररूप 22ख का लोप किया जाएगा ।

[फा. सं. आरटी-11028/02/2013-एमवीएल]

महमूद अहमद, अपर सचिव

टिप्पण : मूल नियम, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (i) में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 590(अ), तारीख 2 जून, 1989 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और अंतिम संशोधन सा.का.नि. 141(अ), तारीख 27 फ़रवरी, 2024 द्वारा किया गया ।

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 6th March, 2024

G.S.R. 159(E).—WHEREAS, the draft of certain rules to amend the Central Motor Vehicles Rules, 1989, were published, as required under sub-section (1) of section 212 of the Motor Vehicles Act, 1988 (59 of 1988), *vide* notification of the Government of India in the Ministry of Road Transport and Highways number G.S.R. 724(E), dated the 5th October, 2023, in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section 3, Sub-section (i), inviting objections and suggestions from all persons likely to be affected thereby within a period of thirty days from the date on which copies of the official Gazette containing the said notification were made available to the public;

AND WHEREAS, copies of the said Gazette notification were made available to the public on the 6th October, 2023;

AND WHEREAS, objections and suggestions received from the public in respect of the said draft rules have been duly considered by the Central Government;

NOW, THEREFORE, in exercise of the powers conferred by section 110 of the Motor Vehicles Act, 1988 (59 of 1988), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Central Motor Vehicles Rules, 1989, namely:-

1. Short title and commencement.-(1) These rules may be called the Central Motor Vehicles (Fourth Amendment) Rules, 2024.

(2) They shall come into force with effect from 1st September, 2025.

2. In the Central Motor Vehicles Rules, 1989 (hereinafter referred to as the said rules), in rule 47, in sub-rule (1), in clause (v), in sub-clause(g), the words, figures and letter, "and, in case of self-certification of the bus body built on a drive away chassis by a bus body structure fabricator, certificate of compliance in Form 22B" shall be omitted.

3. In the said rules, in rule 125C,-

(a) in sub-rule (1), after the proviso and the Table, following proviso shall be inserted, namely:—

"Provided further that, the testing and approval of body building of buses with seating capacity of 13 or more passenger excluding driver, by bus body builder shall be in accordance with AIS:052 (Revision 1)-2008 and shall be a type approved by the Test Agencies specified under rule 126.";

(b) in sub-rule (7), after clause (b), the following clause shall be inserted, namely:—

"(c) The buses with seating capacity exceeding 22 passenger excluding driver, built by bus body builder shall meet the requirements as per AIS-153.".

4. In the said rules, in rule 126, the tenth and eleventh provisos shall be omitted.

5. In the said rules, Form 22B shall be omitted.

[F. No. RT-11028/02/2013-MVL]

Mahmood Ahmed, Addl. Secy.

Note : The principal rules were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, sub-section (i) *vide* notification number G.S.R. 590(E), dated the 2nd June, 1989 and lastly amended *vide* notification number G.S.R. 141(E), dated 27th February, 2024.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054. SARVESH KUMAR SRIVASTAVA